

(III) इकाई को बजट आवंटन राज्यांश मद के द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अल्मोड़ा (सी) श्रेणी की है।

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:- लेखापरीक्षा में जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अल्मोड़ा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अल्मोड़ा की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2014 एवं माह 04/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। इकाई की मासिक प्रगति - शून्य - के अनुसार योजनाओं का प्रतिचयन किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (अ)

(इस भाग में नियमितता से संबंधित मामले/विशिष्ट विषयों के मामलों एवं औचित्य से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित किये जायं)

-----शून्य-----

भाग-दो(ब)

-----शून्य-----

भाग-III

1- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या	STAN
61/2005-06	-	1	-
133/2008-09	1	-	-
23/2013-14	-	1,2,3	-

2- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
-----शून्य-----				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----शून्य-----

STAN

प्रस्तर-1- निदेशालय से प्राप्त औषधियों के 05 से 10 माह उपरान्त वितरित किया जाना।

औषधियों की स्टाफ पंजिका की जांच में पाया गया कि निदेशालय से प्राप्त औषधियों को उनकी प्राप्ति की तिथि से 05 से 10 माह विलम्ब से अपने संबंध चिकित्सालयों/औषधालयों में वितरित किया जा रहा है। विवरण निम्नवत है:-
प्राप्ति की तिथि से 05 से 10 माह विलम्ब से वितरित की गयी औषधियों की सूची

क्र.सं.	औषधि का नाम	प्राप्ति की तिथि	वितरण की तिथि	विलम्ब की अवधि
1	शुन्ठी चूर्ण	30.06.2015	11/2015 से 04/2016	05 से 10 माह
2	पुनर्नवादि क्वाथ चूर्ण	30.06.2015	11/2015 से 04/2016	05 से 10 माह
3	दशमूल क्वाथ चूर्ण	30.06.2015	11/2015 से 04/2016	05 से 10 माह
4	नलपरमादि तेल	30.06.2015	11/2015 से 04/2016	05 से 10 माह
5	मरिच्यादि तेल	30.06.2015	11/2015 से 04/2016	05 से 10 माह
6	चन्दनासव	30.06.2015	11/2015 से 04/2016	05 से 10 माह
7	पुरनधा त्रिफलम्	30.06.2015	11/2015 से 04/2016	05 से 10 माह
8	कुमार्यासव	30.06.2015	11/2015 से 04/2016	05 से 10 माह

9	पथरी रिष्टम	30.06.2015	11/2015 से 04/2016	05 से 10 माह
10	पुनर्नवासव	30.06.2015	11/2015 से 04/2016	05 से 10 माह
11	अशोका रिष्ट	30.06.2015	11/2015 से 04/2016	05 से 10 माह

इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा की आपत्तियों को स्वीकारते हुए उत्तर में बताया कि प्राप्त औषधियों का वितरण शीघ्र किया जायेगा।

अतः निदेशालय से प्राप्त औषधियों को 05 से 10 माह उपरान्त वितरित करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2- ` 229.38 लाख की धनराशि को रोकड़ बही में अंकित नहीं किया जाना।

शासन के पत्रांक सं. 3/xxvii(6) 2013 दिनांक 02 जनवरी 2013 बिन्दु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण' अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि संबंधितों के बैंक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिन्ट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान संबंधित अभिलेखों-यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे।

कार्यालय की रोकड़ बही में चयनित माहों (12.2014 से 04.2016) की नमूना जांच में पाया गया कि कुल ` 229.37952 की धनराशियों को रोकड़ बही में नहीं दर्शाया गया है। विवरण निम्नवत है।

Details		
Date	Bill No.	Amount
05.12.2014	102	7,77,000
DO	106	7,250
09.12.2014	110	5,35,000
11.12.2014	11212	21,858
DO	111	30,00,000
DO	101	2,53,811
DO	104	61,912
19.12.2014	116	6,500
DO	113	5,000
DO	112	4,00,000
22.12.2014	21112	1,01,706

24.12.2014	114	58,278
30.12.2014	01212	2,66,879
DO	01212	45,15,975
12.04.2016	21204	2,73,177
DO	21204	62,40,456
16.04.2016	01	2,22,000
DO	03	50,000
29.04.2016	91604	2,58,577
DO	91604	58,82,573
Grand Total		2,29,37,952

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्तियों को स्वीकारते हुये उत्तर में बताया कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः ` 229.38 लाख की धनराशि को रोकड़ बही में अंकित नहीं किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-V

आभार

- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
- लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-
(अ) शून्य
(i) अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या
- सतत् अनियमितताएं:-
(अ) शून्य
- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	अवधि
1.	श्री विनोद कुमार पाण्डेय	06/2013से 31.12.2014
2.	श्री रविन्द्र प्रताप सिंह	01.01.2015से लगातार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जायं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

(सामाजिक क्षेत्र)